(19)

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारीः— लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 40/2023
श्री महेश कुमार दूत पुत्र रामेश्वर लाल, पी0टी0आई0 ग्रा0पो0 कोलसिया, तहसील नवलगढ, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333042, मो0न0 9694142646

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ।

— —

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 27.02.2023

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 09.02.2023 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 40/2023 पर दिनांक 09.02.2023 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2023/870—71 दिनांक 10.02.2023 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ ने पत्रांक सू0अ0अ0/2022/79 दिनांक 21.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र इस कार्यालय को दिनांक 30.12.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे इस कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/23/22 दिनांक 29.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाही गई सूचना बिन्दू सं0 3 की सूचना पत्र के सलंग्न कर भिजवाई गई एवं बिन्दू सं0 1, 2, 3 एवं बिन्दू सं0 5 की सूचना प्रश्नात्मक होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) की परिभाषा मे उल्लेखित नही है। अतः वांछित सूचना देय नही है। अतः आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत कराया दिया गया। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट श्रीमान्जी की सेवामे सादर प्रेषित कर निवेदन है कि वर्णित अपील निरस्त फरमावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजिस्ट्री0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ द्वारा पत्रांक सू0अ0अ0/2022/79 दिनांक 21.02.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा आरटीआई के तहत प्रार्थना पत्र उनके कार्यालय को दिनांक 30.12.2022 को प्राप्त हुआ। प्रार्थी को सूचना के क्रम मे उनके कार्यालय के पत्रांक सू0अ0अ0/23/22 दिनांक 29.01.2023 के द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा प्रार्थना पत्र मे चाही गई सूचना बिन्दू सं0 3 की सूचना पत्र के सलंग्न कर भिजवाई गई एवं बिन्दू सं0 1, 2, 3 एवं बिन्दू सं0 5 की सूचना प्रश्नात्मक होने से सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(2) की परिभाषा मे उल्लेखित नही है। अतः वांछित सूचना देय नही है। अतः आवेदनकर्ता को समय पर सूचना के संबंध मे अवगत कराया दिया गया। चूंकि बिन्दू सं0 1, 2 व 4 प्रश्नात्मक है जिसकी सूचना नियमानुसार देय नही है। बिन्दू सं0 3 की सूचना आवेदक को पत्रांक 22 दिनांक 29.01.2023 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दू सं0 5 प्रश्नात्मक नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर लोक सूचना अधिकारी (निर्वाचक रजि0 पदाधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी) नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि अपीलार्थी को बिन्दू सं0 5 की सूचना 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाना सुनिश्चित करे।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 04.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2023.03.15 16:56:21 IST
Reason: SelfAttested

(एल0एस0 कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलेक्टर झुन्झुनू